[Shri Tiruchi Siva]

12.00 Noon

and there is no agricultural production. It is also apprehended that methane is also being tried to be extracted from the same oil well. So, all these apprehensions have to be allayed, and the ONGC and the Government have to immediately see the people and convince them that nothing harm would happen. Otherwise, the unrest is increasing. People are very restless and those who are arrested are not released. The situation is getting worse, Sir.

I urge the Central Government to take cognizance and instruct the ONGC to immediately go there and stop the works till the people accept that proposal. Thank you very much, Sir.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I would like to associate myself with the Zero Hour Mention made by the hon. Member.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour Mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Prabhat Jha. ...(*Interruptions*)...

Spread of cancer due to illegal dyeing factories in Delhi

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, हमने कभी नहीं सुना था कि किसी कॉलोनी का नाम 'कैंसर कॉलोनी' हो जाएगा। दिल्ली में एक शिव विहार कॉलोनी है। वहां पर रिहाइशी इलाके में इंडस्ट्रीज़ और जीन्स के पैंट रंगने के कारण इतने कैंसर के मरीज हो रहे हैं कि उस कॉलोनी का नाम लोगों ने 'कैंसर कॉलोनी' रख दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, time over. ...(*Interruptions*)... Repeat the notice. You can repeat tomorrow. Repeat the notice. Timeover. Now, the Question Hour time.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No.31. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I want ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... No banners. ...(*Interruptions*)... This is Question Hour. ...(*Interruptions*)... Please don't interfere. ...(*Interruptions*)... I am afraid, you can't do that. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I am taking my place. ...(*Interruptions*)... I am on my legs because ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Rapolu, this is Question Hour. ...(*Interruptions*)... Don't show banners. ...(*Interruptions*).. Question No. 31; Shri Naresh Agrawal.

गौ-रक्षा

*31. **श्री नरेश अग्रवालः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में गौ-रक्षा के नाम पर कई निर्दोष लोगों को या तो गंभीर रूप से मारा पीटा गया है अथवा उनकी हत्या कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रकार की वारदात करने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में गौ-रक्षा के नाम पर की गई ऐसी वारदातों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून एवं व्यवस्था कायम रखने तथा जान-माल की रक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) गौ-रक्षा के नाम पर हत्या करने से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।

Cow vigilantism

†31. SHRI NARESH AGRAWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many innocent people were either severely beaten up or lynched in the name of cow vigilantism during the last three years;

(b) if so, the reasons therefor, the details of the organisations that executed such incidents; and

(c) if not, the details of such incidents that were executed in the name of cow vigilantism during the last three years?

† Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) 'Police' and 'Public Order' are State subjects under the Seventh Schedule to the Constitution of India. The responsibilities to maintain law and order, protection of life and property rests primarily with the respective State Governments. The State Governments are competent to deal with such offences under the provisions of law. National Crime Records Bureau (NCRB) does not maintain data on lynching in the name of cow vigilantism.

श्री नरेश अग्रवालः माननीय सभापति जी, सरकार इतनी गैर-ज़िम्मेदार होगी, यह मैंने सोचा नहीं था।

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्री नरेश अग्रवालः मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह केंद्र सरकार के क्षेत्र में नहीं आता है, राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है और National Crime Records Bureau इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। प्रधान मंत्री जी ने इस संबंध में कल-परसों ही अपील की थी और खुद यह कहा था कि जो गौ-रक्षा के नाम पर हो रहा है, वह बंद होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा यह बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, इसीलिए आप जवाब नहीं देना चाहते हैं।

माननीय मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम आपको अखबार में दिखा सकते हैं कि अब तक इसकी वजह से करीब 50 ऐसी वारदातें हो चुकी, हत्याएं हो चुकी हैं। क्या केंद्र सरकार की नॉलेज में यह है कि गौ-रक्षा के नाम पर हत्याएं हुईं। यदि नॉलेज में है, तो क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोई डायरेक्शन इश्यू किए? क्या इस पर आप कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं अथवा स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलाने का विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक कर रहे हैं और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में जवाब दिया गया है। एनसीआरबी विशेषकर गौ-हत्याओं पर या गोवंश को लेकर जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, उनकी कोई विशेष सूची बनाती हो, ऐसा नहीं होता है। जो भी हत्याएं होती हैं, उनके अनेक कारण होते हैं। उनमें गोवंश को लेकर, जाति को लेकर या धर्म को लेकर जो भी हत्याएं होती हैं, उनकी अलग सूची बनती है, उसी में यह भी इन्क्लूड होता है, अलग से इसकी कोई सूची नहीं बनती है। साथ ही जैसा कि सम्माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं यह कहा है कि गौ-हत्या को लेकर जो लोग अपने आपको गौ-रक्षक कहते हैं, वे कानून अपने हाथ में न लें। उन्होंने यह बहुत अच्छी बात कही है और उन्होंने देश के लोगों का आह्वान भी किया था। सरकार तथा प्रधान मंत्री जी इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हैं।

दूसरा, होम मिनिस्टर साहब ने भी एक advisory निकाली है और उन्होंने सभी राज्यों को सूचना दी है कि जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, उन पर तुरन्त एफआईआर दर्ज हो, कहीं पर

आनाकानी न हो तथा संबंधित अपराधियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए एवं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। एडवाइज़री देने की वजह से सभी राज्यों ने इस पर कार्यवाही की है। कुछ राज्यों की जानकारी हमारे पास है। पार्टी का नाम लेकर जो बात कही गई है, वह बात सही नहीं है कि बीजेपी के लोग इसमें directly involved हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप लोग सुन लीजिए, सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Please sit down. ...(*Interruptions*)... आप बैठ जाइए, उनकी बात सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... भई, आप उनकी बात सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... प्लीज बैठ जाइए, उनकी बात सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, इस संबंध में जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, चाहे वह हरियाणा का बल्लभगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिमी बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, जिन-जिन राज्यों में, जहां-जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, सभी जगह पर अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। हरियाणा में जो घटना घटी थी, वहां चार लोगों को अरेस्ट किया गया है, पश्चिमी बंगाल में तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है। झारखंड में दो जगह बड़े-बड़े अपराध हुए, एक हजारीबाग में हुआ और दूसरा रामगढ़ में हुआ ...**(व्यवधान)**... मैं सभी जगह का बता रहा हूं। एक जगह पर 18 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक जगह 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र में भी मार-पीट हुई, वहां पर चार लोगों को अरेस्ट किया गया है। सभी राज्यों ने इस पर कार्यवाही की है। सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पर किसी अपराधी को अरेस्ट नहीं किया गया है, तो वह इस संबंध में शिकायत करे, हम संबंधित राज्य से इस संबंध में पूछेंगे।

श्री नरेश अग्रवालः माननीय सभापति जी, सीधे-सीधे प्रिविलेज मोशन हो गया, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने हमें जो जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि यह हमारे क्षेत्र में नहीं आता है और हमारे पास कोई सूचना नहीं है और अब माननीय मंत्री जी बताने लगे कि हरियाणा में इतना हुआ, झारखंड में इतना हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की नॉलेज में है। प्रश्न के जवाब में उन्होंने जो बताया, उसको आप पढ़ लीजिए। उन्होंने जवाब में लिख दिया, "भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून एवं व्यवस्था कायम रखने तथा जान-माल की रक्षा का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारें कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) गौ-रक्षा के नाम पर हत्या करने से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है।" चूंकि अब उन्होंने जवाब दे दिया कि इस-इस जगह इतने-इतने हुए, तो इसका मतलब यह है कि यह इनकी नॉलेज में था, लेकिन इन्होंने जवाब में यह नहीं बताया, इसलिए मैं ओरली प्रिविलेज नोटिस की बात कह रहा हूँ, दे रहा हूँ, लिखित बाद में दे दूंगा। अब मेरा दूसरा प्रश्न है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): यह ओरली क्या होता है?

श्री नरेश अग्रवालः माननीय मंत्री जी, जब आपकी नॉलेज में सब चीजें आ गईं, तो क्या केंद्र सरकार ने, प्रधान मंत्री जी ने राज्य के मुख्य मंत्रियों को बुला कर कोई बैठक की या इस संबंध

में कोई बैठक करेंगे? मैंने पूछा कि क्या आप इस संबंध में कोई कड़ा कानून बना रहे हैं क्योंकि भाजपा के लोग यह कर रहे हैं, अंगोछा डाल कर भाजपा के लोग गौ-रक्षा के नाम पर जो कर रहे हैं, आप उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है?

श्री सभापतिः आप अपना सवाल पूछिए।

श्री नरेश अग्रवालः सर, मेरा सवाल यह है कि क्या प्रधान मंत्री जी सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुला कर उनको कुछ डायरेक्शन देंगे कि वह एक ऐसा कानून बनाए, केंद्र सरकार ऐसा कानून बनाए? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जो बीफ का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान से होता है, अगर आप गौ-रक्षा के नाम पर ठेकेदार बने हैं, तो क्या केंद्र सरकार बीफ का एक्सपोर्ट रोकेगी?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, ये बार-बार पार्टी का नाम लेकर बात कह रहे हैं कि जितने भी ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः यह सही बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः कृपया आप लोग बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप लोग जवाब सुन नहीं रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, हमारा काम है कि सारे राज्यों को ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः आपका काम लोगों की सुरक्षा करने का है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखरः सर ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. ...(*Interruptions*)... आप जवाब दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, संविधान की सातवीं सूची की संख्या 15 के अनुसार कानूनी व्यवस्था संभालने का पूरा अधिकार राज्यों को होता है। यह आप भी जानते हैं, लेकिन हम अपने इस कर्त्तव्य से मुकरते नहीं हैं। सारे राज्यों से सूचना मंगाई गई कि संबंधित राज्यों में क्या-क्या कार्रवाई की गई है। आपके द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद हमने जवाब दिया है। हमने आपका सम्मान भी किया है और बताया है कि जितनी जानकारी मिलनी थी, उतनी मिली है। सभी राज्यों से जानकारी मंगाई जा रही है, सिर्फ पश्चिमी बंगाल से डिटेल्ड जानकारी नहीं मिली है, बाकी सभी राज्यों ने भेजी है।

आपने जो पूछा है कि प्रधान मंत्री जी सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुला कर कुछ कहना चाहेंगे, आपकी सूचना है ...**(व्यवधान)**...

श्री परवेज़ हाशमीः सर ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः कृपया आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः हम आपकी सूचना का सम्मान करते हैं, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने ऑलरेडी पूरे देश को संबोधित किया है। **...(व्यवधान)...** उन्होंने 16 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है कि गौवंश को लेकर जो-जो घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुखद हैं, इसको तुरंत रोकना चाहिए। ऐसे गौवंश के नाम पर जो हंगामा करते हैं, उन पर कार्रवाई करने की बार-बार अपील की है। जो आपने कहा है, उसी के अनुसार फिर मैं दोहराता हूँ कि होम मिनिस्ट्री से एडवाज़री निकल चुकी है। सम्माननीय राजनाथ सिंह जी ने उसके बारे में आदेश दिया है। अभी तक कानून बदलने के लिए कोई विचार नहीं हुआ है, वह अभी तक विचारणीय है, लेकिन आपने कहा है कि कुछ राज्यों में जो **...(व्यवधान)...**

श्री संजीव कुमारः झारखंड में क्यों हो रहा है? **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः कृपया आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, मैं यह स्पष्ट कर देता हूँ कि गौवंश को लेकर देश में जो कानून बने हैं, उसमें करीब 24 राज्यों में गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। **...(व्यवधान)...**

श्री नीरज शेखरः सर**...(व्यवधान)...**

श्री परवेज़ हाशमीः सर **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Silence, please. कृपया आप लोग जवाब सुनिए। **...(व्यवधान)...** नहीं, नहीं, कृपया आप लोग बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** आप जवाब सुनिए। **...(व्यवधान)...**

श्री नीरज शेखरः सर**...(व्यवधान)...**

श्री परवेज़ हाशमीः सर **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः आप जवाब सुनेंगे या **...(व्यवधान)...** कृपया आप लोग बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः आपने प्रश्न पूछा है और मुझे जवाब देना है। **...(व्यवधान)...** देश के 24 राज्यों में गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध है, 5 यूनियन टेरिटरीज़ में प्रतिबंध है, सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं, जहां पर गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध नहीं है। उनमें अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड हैं तथा एक यूनियन टेरिटरी, लक्षद्वीप है। **...(व्यवधान)...**

श्री तपन कुमार सेनः सर, प्रश्न क्या पूछा गया और ये जवाब क्या दे रहे हैं? **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... All right. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Question is basically administrative. ...(*Interruptions*)..

MR. CHAIRMAN: Let us go to supplementaries now. ...(*Interruptions*)...

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सर, जहां से सम्माननीय सदस्य आते हैं यानी उत्तर प्रदेश में गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध है, बिहार में भी प्रतिबंध है। **...(व्यवधान)...** देश में ऐसे कानून पहले से बने हुए हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री नरेश अग्रवालः सर **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः आपका सवाल खत्म हो गया। ...**(व्यवधान)**... श्री दिग्विजय सिंह। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक-व्यवस्था राज्यों के विषय हैं। हम इससे सहमत हैं, लेकिन एक नई परम्परा देश में चल गई है, एक नई व्यवस्था देश में आ गई है, जहां नफ़रत के बीज बोने के कारण targeted भीड़तंत्र द्वारा mob lynching हो रही है। मैं मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ठीक है, पुलिस और लोक-व्यवस्था का विषय राज्यों के अधीन है, लेकिन देश के Cr.P.C. and I.P.C. में परिवर्तन करने का अधिकार तो आपके पास है। आप देखें कि Cr.P.C. and I.P.C. में mob lynching कहीं परिभाषित नहीं है, उसका कहीं प्रावधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार, आज की बदली हुई परिस्थिति में, देश में एक समूह जिस तरह targeted lynching हो रही है, उसको देखते हुए, Cr.P.C. and I.P.C. में परिवर्तन करने का कोई इरादा रखती है? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Thank you. अब जवाब सुनिए।

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, चाहे एक व्यक्ति ने हत्या की हो या 10 लोगों ने मिलकर हत्या की हो, हमारे देश में I.P.C. या संविधान के अंतर्गत कानून बने हैं। उनके अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। यदि कहीं भी lynching का मामला सामने आता है या कोई दूसरा अपराध होता है, उसमें कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। मुझे लगता नहीं कि ऐसी परिस्थिति में कोई नया संशोधन लाने की जरूरत है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, my supplementary is this. What are the reasons for the National Crime Record Bureau not to maintain data on lynching in the name of cow vigilantism, particularly, when data are being maintained by the NCRB relating to all other crimes? Why is cow vigilantism left out?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, जातीय, भाषावाद या communal issues को लेकर जहां अपराध होते हैं या दो समुदायों में गोमांस को लेकर तनाव बन जाता है, इसे लेकर जो अपराध होते हैं, उनकी सूची बनना 2014 से प्रारम्भ हुआ है। इससे पहले ऐसी सूची नहीं बनती थी। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... Please allow the answer. ...(*Interruptions*)...

श्री तपन कुमार सेनः क्योंकि ऐसे मामले 2014 के बाद ही सामने आए हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Please allow the Question Hour. ...(*Interruptions*)... आप लोग कृपया खामोश रहिए और जवाब सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, जो प्रश्न यहां पूछा गया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, आप मुझे संरक्षण दीजिए। ...**(व्यवधान)**... वर्ष 2014 के बाद जितनी घटनाएं हुई हैं, किसी जाति को लेकर, भाषा या प्रान्तवाद को लेकर, उनकी वर्ष 2014 से NCRB ने list बनानी प्रारम्भ की है। वह सूची बन रही है। ...**(व्यवधान)**... मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसे मामलों में, हत्याओं

में, चाहे जातीय तनाव हो, धार्मिक हो या गोमांस को लेकर जो घटनाएं होती हैं, जिन राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, 2014 में, जिन राज्यों का नाम आता है, जहां अधिक घटनाएं सामने आई हैं, NCRB ने उनके नाम दिए हैं, वे हैं — केरल, कर्णाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इन प्रदेशों में 2014 में ऐसी ज्यादा घटनाएं सामने आईं। उसके बाद, 2015 में, जहां ऐसी घटनाएं अधिक हुई हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्णाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। ...**(व्यवधान)**... वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ऐसी घटनाएं अधिक हुई हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं यह भी बताना चाहता हूं कि NCRB ने, सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाकर, detail में चर्चा की है और कुछ categories में, जहां ज्यादा जातीय तनाव बढ़ता है, ऐसे राज्यों की सूची दी है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, this is not a reply to my question. ...(*Interruptions*)... I am seeking your protection. ...(*Interruptions*)... I am seeking protection from the Chair.

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः आपने देखा होगा कि इनमें से एक या दो राज्यों में बीजेपी का शासन है, बाकी राज्यों में बीजेपी का शासन नहीं है।

MR. CHAIRMAN: We are not discussing that. ...(*Interruptions*)... नहीं, नहीं। बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री माजीद मेमनः सर, मंत्री जी ने शुरू में जवाब दिया है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। मगर इतनी सारी स्टेट्स में इस तरह से इतनी हत्याएँ हुई हैं कि उनसे भारत की छवि सारे विश्व में खराब हुई है। यह बताया जा रहा है कि India is a state without rule of law. There is lawlessness in the society, encouragement of communal disharmony and religious hatred that is being created. मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि सिर्फ एफ.आई.आर. रजिस्टर होने से काम नहीं होता। एफ.आई.आर. तो ऑटोमैटिकली रजिस्टर हो जाती है। एफ.आई.आर. लोअर कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास रिजस्टर करनी पड़ती है, थाने में रजिस्टर करनी पड़ती है। आपने एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर कोई बड़ा काम नहीं किया। आप हाउस को यह बताइए कि वर्ष 2014 में lynching का जो पहला केस हुआ, वह आज किस स्टेज पर है? उसके बाद जितने केसेज़ हुए हैं, उनके दोतरफा सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि इसमें क्यों न SIT formulate की जाए, इसमें क्यों न fast track trial के साथ deterrent punishment दी जाए, ताकि ऐसे केसेज़ रुकें? प्रधान मंत्री जी के शब्दों से यह नहीं रुकता। प्रधान मंत्री जी ने जिस दिन यह वॉर्निंग दी, उसके दूसरे दिन ही यह नागपुर में हुआ। ...**(व्यवधान)**... मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपने victims के बारे में क्या किया? इसमें 22, 23, 24 लोगों की मौत हो गई है, उनमें से किसी को आज तक आपने क्या कोई compensation दिया या दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, यहां पर बार-बार यही बात आ रही है और सभी यह स्वीकार करते हैं कि कानून और व्यवस्था को देखने का मामला स्टेट का होता है। अगर इसमें SIT भी नियुक्त करनी है, तो वह भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। जहां भी ऐसी कोई शिकायत आती है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से CBI या NIA इंक्वायरी करे, तो हम उसके बारे में उनकी

मांग स्वीकार करेंगे, लेकिन किसी भी स्टेट से ऐसी कोई मांग नहीं आई है। इसमें SIT तो स्टेट नियुक्त करेगा, धन्यवाद। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 32. ...(*Interruptions*)... Nareshji,... ...(*Interruptions*)... Look, we have taken 20 minutes on this. ...(*Interruptions*)...

श्री नरेश अग्रवालः माननीय सभापति जी, यह कोई जवाब नहीं हुआ। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः प्लीज़, बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** भाई, बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** बैठ जाइए, प्लीज़। **...(व्यवधान)...**

श्री तपन कुमार सेनः सर, यह जवाब नहीं है। **...(व्यवधान)...**

श्री नरेश अग्रवालः सर, **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः देखिए, let the Question Hour proceed. ...(*Interruptions*)... ये क्या कर रहे हैं? **...(व्यवधान)...** भाई देखिए, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? **...(व्यवधान)...** अगर यह जवाब नहीं है, तो इसका एक procedure है।**...(व्यवधान)...** Nareshji, you have asked your question. ...(*Interruptions*)... You have asked your supplementary. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, this is Question Hour. ...(*Interruptions*)... नरेश जी, आपका सवाल हो गया। **...(व्यवधान)...** आपने जवाब सुन लिया।**...(व्यवधान)...** Nareshji, you have had your chance. ...(*Interruptions*)... You can't... ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... दूसरों का सवाल आने दीजिए। **...(व्यवधान)...** I am sorry, this is not fair. ...(*Interruptions*)... This is not fair. ...(*Interruptions*)... The House is adjourned for ten minutes.

The House then adjourned at nineteen minutes past twelve of the clock.

The House reassembled at twenty-nine minutes past twelve of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

Honorarium for artists in different fields

*32. SHRI BASAWARAJ PATIL: Will the Minister of CULTURE be pleased to state:

(a) how many persons are getting honorarium for their work in different fields, the details thereof, State-wise;

(b) how many applications are pending with Government, the details thereof, State-wise; and

(c) whether there is any hurdle in regular payment of honorarium, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY CULTURE (DR. MAHESH SHARMA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.